बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

सकारण आदेश

का०आ०सं०–3प०/मु०–09–22/2021/........./पं०रा० पटना,दिनांक–...../..../2021

पंचायत वार्ड सचिव संघ, पटना एवं अन्य के द्वारा दायर समादेश याचिका संख्या 615/2021 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना की खंडपीठ द्वारा दिनांक 22.06.2021 को निम्न आदेश पारित किया गया है :–

"(a) Petitioner shall approach the authority concerned within a period of four weeks from today by filing a representation for redressal of the grievance(s);

(b) The authority concerned shall consider and dispose it of expeditiously by a reasoned and speaking order preferably within a period of three months from the date of its filing along with a copy of this order;

The petition stands disposed of in the aforesaid terms.

Interlocutory Application(s), if any, stands disposed of."

2. उक्त न्यायादेश के आलोक में संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 19.07.2021 को अपनी मांगों पर विचार करने हेतु अभ्यावेदन दिया गया। विभागीय पत्रांक–5106 दिनांक 03.09.2021 द्वारा मामले की सुनवाई हेतु दिनांक–14.09.2021 की तिथि नियत करते हुए याचिकाकर्ताओं को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की सूचना दी गई। याचिकाकर्ता दिनांक–14.09.2021 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष भौतिक रूप से उपस्थित हुए तथा उन्होंने अपना लिखित अभिकथन समर्पित किया।

3. याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने अभिकथन में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है :–

(1) बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 के नियम–3 (4) के अनुसार वार्ड सचिव का मुख्य दायित्व वार्ड सदस्यों के निदेशों के अधीन वार्ड सभा की बैठक हेतु सूचना निर्गत करना, बैठकों की कार्यवाही अभिलिखित करना तथा वार्ड सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करना है। वार्ड सचिव को उक्त नियमावली के नियम–16 (8) के प्रावधानों के आलोक में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव का दायित्व सौंपा गया है तथा उक्त समिति के खाते का संचालन वार्ड सदस्य एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाना है।

(2) नियमावली में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि वार्ड सचिव को अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन निःशुल्क करना है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन किसी दायित्व के निर्वहन में लगे व्यक्ति को अपने श्रम का मूल्य प्राप्त करने का अधिकार है।

(3) नियमावली में प्रावधानित कार्यों के अतिरिक्त वार्ड सचिव से स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा चुनाव, महामारी की रोकथाम, बाढ़ राहत कार्य से संबंधित आदि कार्य भी बिना किसी भुगतान के लिये जाते हैं।

(4) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कार्य कराये जाने के फलस्वरूप 10 प्रतिशत कांट्रेक्टर प्रॉफिट राशि की सीधी बचत हो रही है जिसे वार्ड सचिवों को दिया जाना चाहिए।

4. बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 170 क, 170 ख एवं 170 ग के संगत प्रावधान निम्नवत् हैं :–

"**170क** (1) सरकार के सामान्य आदेश के अधीन रहते हुए, ग्राम पंचायत के भीतर वार्डों के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। वार्ड सभा तीन महीने में कम–से–कम एक बार अपनी बैठक करेगी। उक्त वार्ड से ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य जो वार्ड का प्रतिनिधित्व करते हों, वार्ड सभा की बैठक का आयोजन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार करेंगे और बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उस वार्ड के निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले सभी मतदाता उक्त वार्ड सभा के सदस्य होंगे।

(2) वार्ड सभा की बैठकों के आयोजन एवं संचालन की प्रक्रिया वही होगी जो विहित की जाय।

170ख वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति–(1) वार्ड सभा द्वारा अपने कृत्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा। संबंधित वार्ड से निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य उस वार्ड समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की संरचना, पदावधि आदि वही होगी, जो सरकार द्वारा विहित की जाय।

(2) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति मुख्यतः निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी:–

(क) वार्ड सभा के विचारण हेतु वार्ड में चलायी जाने वाली योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के प्रस्ताव एवं उनकी प्राथमिकता तैयार करना।

(ख) साक्षरता, सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर जागरूकता पैदा करने हेतु वार्ड सभा को सहयोग करना।

(ग) जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता इकाईयों एवं अन्य सार्वजनिक सुविधा योजनाओं के लिए वार्ड सभा की ओर से उपयुक्त स्थल का चयन करना।

(घ) महामारी तथा प्राकृतिक आपदा की रोक–थाम हेतु वार्ड सभा/ग्राम पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन कार्य करना।

(ङ) वार्ड सभा/ग्राम पंचायत द्वारा समय–समय पर सौंपी गयी योजनाओं/ कार्यक्रमों/दायित्वों का क्रियान्वयन।

(ii) वार्ड में यदि जीविका के ग्राम संगठन/स्वयं सहायता समूह कार्यरत हों, तो इसके एक प्रतिनिधि को भी समिति के सदस्य के रूप में चयनित किया जायेगा।

(iii) समिति में कम–से–कम तीन महिला सदस्यों को रखा जायेगा।

(iv) एक परिवार से एक से अधिक व्यक्ति को समिति का सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

(4) नियम–3 के उप नियम–(4) के अधीन चयनित वार्ड सभा सचिव समिति के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(5) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन दो वर्षों के लिए किया जायेगा। ऐसे सदस्य जो समिति की तीन लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहेंगे अथवा समिति के कार्यों/दायित्वों में रूचि नहीं लेंगे, उन्हें वार्ड सभा प्रस्ताव पारित कर समिति की सदस्यता से हटा सकेगी। ऐसी पदमुक्ति से उत्पन्न रिक्ति अथवा किसी सदस्य के त्याग पत्र एवं मृत्यु के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्ति को भरने हेतु वार्ड सभा उनके स्थान पर नये सदस्यों का चयन समिति की शेष कार्यावधि के लिए कर सकेगी।

(6) समिति के खाते का संचालन अध्यक्ष (वार्ड सदस्य) एवं सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। समिति द्वारा क्रियान्वित योजना से संबंधित अभिलेखों तथा बैंक पासबुक, चेकबुक आदि अध्यक्ष (वार्ड सदस्य) की अभिरक्षा में रखे जायेंगे।

6. उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि वार्ड सभा तथा इसके द्वारा गठित वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य कोई वैतनिक कर्मी नहीं हैं, न ही इन्हें कोई नियत मानदेय दिया जाता है। इस समिति के ऊपर सरकार द्वारा सौंपे गये कार्यों के समुचित प्रबंधन एवं कार्यान्वयन की जिम्मेवारी है। पढ़ा–लिखा होने के कारण वार्ड सचिव को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव की भूमिका भी सौंपी गई है। समिति में किसी भी सदस्य को उनके कर्त्तव्यों/दायित्वों के निर्वहन हेतु किसी प्रकार का वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था नहीं की गई है। सभी सदस्यों को स्वैच्छिक रूप से कार्य करना है तथा अपने वार्ड के विकास में सहयोग देना है। वार्ड स्तर पर सरकार द्वारा वार्ड में निवास कर रहे किसी व्यक्ति को भुगतान के आधार पर नियोजित करने का विचार नहीं है। वार्ड ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई के रूप में स्थापित है। प्रत्येक वार्ड में वार्ड सभा के गठन के पीछे मूल सोच यही थी कि प्रत्येक वार्ड तक ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाले संसाधन साम्योचित (equitable) रूप में पहुंच सके।

7. जलापूर्ति योजना एवं इसके विभिन्न अवयवों को क्रियाशील बनाये रखने हेतु विभागीय संकल्प संख्या 2935 दिनांक 22.06.2021 द्वारा निर्गत दीर्घकालीन अनुरक्षण एवं रख–रखाव नीति के तहत अनुरक्षक के रूप में सामान्यतः वार्ड सदस्य को चिन्हित किया गया है। वार्ड सदस्य द्वारा उक्त दायित्व का निर्वहन करने में अनिच्छा प्रकट करने पर वार्ड सभा द्वारा वार्ड सचिव को यह दायित्व सौंपा जा सकता है। 15वें वित्त आयोग के अनुदान की राशि से अनुरक्षक को 2000/– रूपये प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संग्रहित उपभोक्ता शुल्क की 50 प्रतिशत राशि भी प्रोत्साहन स्वरूप अनुरक्षक को देय होगी।

170 ग वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निदेश देने की सरकार की शक्ति :–अधिनियम में किसी अन्य बात के होते हुए भी, सरकार ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत निधि से वार्ड के लिए अनुमोदित योजनाओं का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से कराने हेतु निदेश दे सकेगी। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों के अनुरूप कराया जायेगा।''

5. उक्त धाराओं के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 का गठन किया गया है, जिसके नियम–3 के उप–नियम (4) में वार्ड सचिव के चयन से संबंधित प्रावधान निम्नवत् है :–

''(4) वार्ड सभा अपने सदस्यों के बीच से एक व्यक्ति को वार्ड सभा के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु चयनित करेगी, जिसकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होगी। अध्यक्ष अथवा ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के किसी पदधारक के परिवार के सदस्य को वार्ड सभा सचिव के रूप में नहीं चुना जाएगा। वार्ड सभा सचिव का मुख्य दायित्व वार्ड सदस्य के निदेशों के अधीन वार्ड सभा की बैठक हेतु सूचना निर्गत करना, बैठकों की कार्यवाही अभिलिखित करना तथा वार्ड सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन करना होगा।''

नियमावली के नियम–16 के प्रावधान निम्नवत् हैं :–

''16. वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति।–(1) अधिनियम में अभिहित सामान्य एवं वित्तीय कार्यों/दायित्वों के निर्वहन एवं सम्पादन हेतु वार्ड सभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा।

(2) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति में अध्यक्ष सहित 7 (सात) सदस्य होंगे। वार्ड से निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य) समिति के पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष होंगे। वार्ड से निर्वाचित ग्राम कचहरी के पंच एवं वार्ड सभा का सचिव समिति के पदेन सदस्य होंगे।

परन्तु यह कि वार्ड सदस्य का पद रिक्त रहने पर मुखिया या मुखिया द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर उप–मुखिया वार्ड सभा की बैठक आहूत करेगा। वार्ड सभा ऐसी बैठक में अपने सदस्यों के बीच से पूर्णतः अस्थायी कार्य व्यवस्था के अधीन एकसदस्य को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु चुनेगी। वार्ड सदस्य पद के लिए नियमित चुनाव के पश्चात् कार्यकारी व्यवस्था के अधीन अध्यक्ष के रूप में चयनित व्यक्ति की अधिकारिता स्वतः समाप्त हो जाएगी एवं ऐसा निर्वाचित वार्ड सदस्य तुरंत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लेगा।

(3) समिति के शेष सदस्यो का चयन निम्न आधार पर किया जायेगा :–

(i) अगर संबंधित वार्ड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य निवास करते हैं तो वार्ड क्रियान्चयन एवं प्रबंधन समिति में कम–से–कम एकसदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार से अनिवार्य रूप से चुने जायेंगे।

8. ऊपर वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में पंचायत वार्ड सचिव संघ, पटना एवं अन्य के अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

सभी संबंधित को आदेश की प्रति उपलब्ध करा दी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग

ह0/–
(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग

ज्ञापांक :– 3प०/मु०–09–22/2021/6539/पं०रा० पटना,दिनांक–18/11/2021

प्रतिलिपि – सभी संबंधित वादीगण को सूचनार्थ प्रेषित।

17.11.21
संयुक्त सचिव
पंचायती राज विभाग

ज्ञापांक :– 3प०/मु०–09–22/2021/6539/पं०रा० पटना,दिनांक–18/11/2021

प्रतिलिपि – जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना, मुजफ्फरपुर, सुपौल एवं सारण को सूचनार्थ प्रेषित एवं अपने स्तर से संबंधित वादीगण को सकारण आदेश का तामिला सुनिश्चित कराते हुए तामिला प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

17.11.21
संयुक्त सचिव
पंचायती राज विभाग

ज्ञापांक :– 3प०/मु०–09–22/2021/6539/पं०रा० पटना,दिनांक–18/11/2021

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.11.21
संयुक्त सचिव
पंचायती राज विभाग